43

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक I/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2018/1781

हरीराम तनय अडकू यादव आयु 59 वर्ष, निवासी ग्राम चुरारी, तहसील निबाड़ी, जिला टीकमगढ़

.......निगरानीकर्ता

एस.पी. भटनागर एड.
13-3-18
दि0 23-3-18
13-3-18

बनाम

मध्य प्रदेश शासन .... रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 203/बी–121/ 16–17 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न तथ्य व आधारो पर पस्तुत है–

संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि निगरानीकर्ता व्दारा श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 107 (5) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चुरारी के ख.नं. 245 के चार बंटाकन है, जिसमे खसरा नंगर 245/1 रकवा 0.809 हेक्टेयर, जिसमें प्राथमिक शाला बागवानी स्थित है तत्पश्चात खसरा नंबर 245/2/1 रकवा 2.023 हेक्टेयर कल्लू तनय , दयाराम बगैरह के नाम स्थित है तत्पश्चात खसरा नंबर 245/2 /2 रकवा

2

28|8|18 (1) आवेदक अभि० को सुना जा चुका है। अधीनस्थ

Cont.

01/निगरानी/टीकमगढ़/भू० रा./2018/1731
हरीराम तनय अड़कू बनाम म.प्र. शासन

पूर्व पृष्ठ से

न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ की प्रकरण पंजिका क्रमांक 203/बी-121/16-17 दिनांक 30.1.2018 का अवलोकन किया गया। निगरानी कर्ता अतिक्रामक है, वह शासकीय पट्टेदार भी नहीं है। अतः कब्जा के आधार पर तरमीम की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिस कारण से कलेक्टर ने आवेदन खारिज किया है।

(2) कलेक्टर के आदेश दि. 30/1/2018 में कोई त्रुटि न होने के कारण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(3) आवेदक अभिभाषक को नोट कराया जावे।

28/8/18